

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/168
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00158
CICOM/R/2018/00548

दिनांक: 05.07.2018

अपीलकर्ता : श्री आर. पी. वर्मा,
159/5, ओल्ड टाईप -II,
ओ. एफ. डी. एस्टेट लाडपुर,
रायपुर, देहरादून - 248008.

निर्णय की तारीख: 05.07.2018

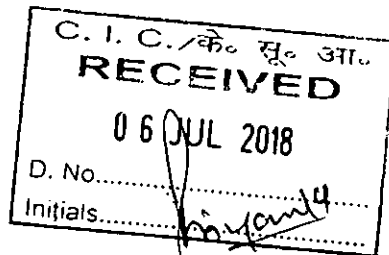
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	26.05.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	14.06.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एच. पी. सेन
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	23.06.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	299/27.06.2018 (216/26.06.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 26.05.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/VS/A/2015/003174/SD से संबंधित पांच बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-डी.पी. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि संदर्भित आर.टी.आई. आवेदन के संबंध में श्री एच. पी. सेन द्वारा दिनांक 14.06.2018 को पत्र सं. CIC/CPIO/IC-DP/2018/0003 के माध्यम से अपीलकर्ता को सूचना दी गई कि "no information is available in the matter as the file is not traceable"। इस संदर्भ में आयोग के ऑनलाइन ई-बुक में अपील सं. CIC/VS/A/2015/003174/SD की तलाश करने पर पाया गया कि अपील सं. CIC/VS/A/2015/003174 के रूप में मामले से संबंधित आंशिक दस्तावेज ई-बुक में भी उपलब्ध हैं। तदुसार श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-डी.पी. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि ई-बुक में संबंधित फाइल की तलाश करें अथवा रिकार्ड रूम से फाइल मंगवाकर इस आदेश की प्राप्ति के दस कार्यदिवसों के अंदर अपीलकर्ता को आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित पूर्ण एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाई जाए।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-डी.पी. कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली।

Perun
6/7/18